

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायपुर, जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी:—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:—23/2021 (2021/49) प्रार्थना पत्र

अनवान

1. लेहरू पिता हीरा जाट निवासी पालरां तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. भैरू पिता हीरा जाट निवासी पालरां तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीगण

बनाम

1. गणपत सिंह पिता रामसिंह राजपूत निवासी केमुणिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. शत्रुदमनसिंह पिता सुर्यभानसिंह राजपूत नि. नान्दशा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. धर्मवीरसिंह पिता सुर्यभानसिंह राजपूत नि. नान्दशा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. दशरथकंवर बेवा सुर्यभानसिंह राजपूत नि. नान्दशा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. जतनकंवर पत्नि ओमप्रकाशसिंह राजपूत नि. नान्दशा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. धन्नलाल पिता बालु जाट निवासी नान्दशा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. देवीलाल पिता बालु जाट निवासी नान्दशा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. पारस पिता बालु जाट निवासी नान्दशा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9. रोशन पिता बालु जाट निवासी नान्दशा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
10. हीरालाल पिता छोगा सुखलेचा निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
11. पारसमल पिता छोगा सुखलेचा निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
12. मदनलाल पिता छोगा सुखलेचा निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
13. मांगीलाल पिता भैरा जाट निवासी नान्दशा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
14. मूली बेवा हीरा जाट निवासी नान्दशा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
15. नारायण पिता चत्रभुज खाती (सुथार) निवासी नान्दशा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
16. प्यारचन्द पिता चत्रभुज खाती (सुथार) निवासी नान्दशा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
17. रमेश पिता चत्रभुज खाती (सुथार) निवासी नान्दशा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
18. लच्छु बेवा चत्रभुज खाती (सुथार) निवासी नान्दशा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
19. पारसमल पिता गिरधारी महाजन निवासी नान्दशा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
20. जेठमल पिता सोहन महाजन निवासी नान्दशा हाल जी 553 आजादनगर भीलवाड़ा
21. बापुलाल पिता लक्ष्मीलाल महा. नि.नान्दशा हाल 157 काशीपुरी वकीलकॉलोनी भीलवाड़ा
22. अमृत पिता गोटीलाल महाजन निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
23. छोगा पिता भैरा जाट निवासी नान्दशा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
24. पन्ना पिता भैरा जाट निवासी नान्दशा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
25. लोभा पिता भैरा जाट निवासी नान्दशा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम

उपस्थित

1. हमेन्द्र सुवालका -

प्रार्थीगण अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक—05.08.2021

पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण का सक्षेप मे विवरण इस प्रकार है— नान्दशा पटवार हल्का नान्दशा तहसील रायपुर के बेरुन हल्का आबादी मे प्रार्थीगण के खेती अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 78 रकबा 1.34 है, आराजी संख्या 91 रकबा 0.86 है, आराजी संख्या 1056 रकबा 0.80 है, आराजी संख्या 1057 रकबा 0.46 है, आराजी संख्या 1059 रकबा 0.50 है, आराजी संख्या 1063 रकबा 0.50 है, आराजी संख्या 1248 रकबा 1.75 है,



आराजी संख्या 1249 रकबा 2.52 है0, आराजी संख्या 1250 रकबा 2.25 है0, आराजी संख्या 1251 रकबा 0.75 है0 कुल कित्ता 10 कुल रकबा 11.73 है0 भूमि खाता संख्या 147 पर दर्ज रेकार्ड है। प्रमाण में नकल जमाबंदी मय नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की हैं। प्रार्थीगण की उक्त आराजियात के चारों तरफ सीमा के मुश्तकील निशानात नही होने से प्रार्थी को काश्त करने, काश्त लाभ प्राप्त करने, घास आदि काटने व मवेशी चराने में दरम्यान पक्षकारान आपस मे सीमा सम्बन्धी विवाद बना रहता है जिससे प्रार्थीगण को अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना आवश्यक हो गया है। प्रार्थीगण ने विपक्षीगण को कई मर्तबा को उक्त आराजी की पत्थरगढी कराने बाबत् कहा लेकिन विपक्षीगण हरबार टालमबाजी का जवाब देते रहे है। प्रार्थीगण ने दिनांक 05.01.2021 को विपक्षीगण को अन्तिम बार कहा लेकिन विपक्षीगण इन्कार हो गये, जिससे प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु विवश होना पड़ा है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को इस न्यायालय मे दिनांक 12.02.2021 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को वजह जारी करने हेतु नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना मे विपक्षी संख्या 1 से 4 व 6 से 9 एवं 13 से 19 बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से एकतरफा कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया एवं विपक्षी संख्या 5, 10, 11, 12, 20, 21, 22 के विरुद्ध प्रार्थीगण अधिवक्ता कोई कार्यवाही नही चाहते है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख मे किसी प्रकार का कोई परिवर्तन हाने का कोई अन्देशा नही है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते है। प्रार्थी खातेदार होकर अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहता है जिसमें अगर कोई विपक्षी ऐतराज भी करता है तो कानूनन स्वीकार योग्य नही है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम नान्दशा पटवार हल्का नान्दशा तहसील रायपुर के बेरुन हल्का आबादी मे प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 78 रकबा 1.34 है0, आराजी संख्या 91 रकबा 0.86 है0, आराजी संख्या 1056 रकबा 0.80 है0, आराजी संख्या 1057 रकबा 0.46 है0, आराजी संख्या 1059 रकबा 0.50 है0, आराजी संख्या 1063 रकबा 0.50 है0, आराजी संख्या 1248 रकबा 1.75 है0, आराजी संख्या 1249 रकबा 2.52 है0, आराजी संख्या 1250 रकबा 2.25 है0, आराजी संख्या 1251 रकबा 0.75 है0 कुल कित्ता 10 कुल रकबा 11.73 है0 भूमि खाता संख्या 147 पर दर्ज रेकार्ड है। जिसकी पत्थरगढी कराये जाने हेतु सम्बधित मु-अभिलेख निरीक्षक को कमिश्नर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है कि इस हेतु प्रार्थीगण द्वारा पत्थरगढी शुल्क 1000/-रुपये राजकोष में जमा एवं कमिश्नर फीस 2000/-रुपये जमा होने पर उक्त आराजी की पत्थरगढी पक्षकारान को सूचित करते हुए बशामलात पक्षकारान के करायी जावे और मौके पर बिना किसी के कब्जे में दखल किये सीमांकन कराया जावे तथा मौके पर खातेदार के अलावा अन्य व्यक्ति का कब्जा पाया जावे तो पर्चा मौका में इसका अंकन करते हुए उस कब्जे शुदा रकवे को नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाते हुए प्रालना रिपोर्ट में पेश करे एवं खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार रायपुर कमिश्नर से विधिवत् पत्थरगढी करावे। प्रकरण निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। रजिस्टर मे दाखला अंकित किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 05.08.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(सुन्दर लील बम्बोडा)

उपखण्ड अधिकारी

सहायक जज रायपुर जिला भौलवाड़ा
रायपुर (भौलवाड़ा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायपुर, जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी:—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:—23/2021 (2021/49) प्रार्थना पत्र

अनवान

1. लेहरू पिता हीरा जाट निवासी पालरां तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. भैरू पिता हीरा जाट निवासी पालरां तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीगण

बनाम

1. गणपत सिंह पिता रामसिंह राजपूत निवासी केमुणिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. शत्रुदमनसिंह पिता सुर्यभानसिंह राजपूत नि. नान्दशा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. धर्मवीरसिंह पिता सुर्यभानसिंह राजपूत नि. नान्दशा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. दशरथकंवर बेवा सुर्यभानसिंह राजपूत नि. नान्दशा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. जतनकंवर पत्नि ओमप्रकाशसिंह राजपूत नि. नान्दशा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. धन्नालाल पिता बालु जाट निवासी नान्दशा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. देवीलाल पिता बालु जाट निवासी नान्दशा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. पारस पिता बालु जाट निवासी नान्दशा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9. रोशन पिता बालु जाट निवासी नान्दशा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
10. हीरालाल पिता छोगा सुखलेचा निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
11. पारसमल पिता छोगा सुखलेचा निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
12. मदनलाल पिता छोगा सुखलेचा निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
13. मांगीलाल पिता भैरा जाट निवासी नान्दशा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
14. मूली बेवा हीरा जाट निवासी नान्दशा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
15. नारायण पिता चत्रभुज खाती (सुथार) निवासी नान्दशा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
16. प्यारचन्द पिता चत्रभुज खाती (सुथार) निवासी नान्दशा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
17. रमेश पिता चत्रभुज खाती (सुथार) निवासी नान्दशा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
18. लच्छु बेवा चत्रभुज खाती (सुथार) निवासी नान्दशा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
19. पारसमल पिता गिरधारी महाजन निवासी नान्दशा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
20. जेठमल पिता सोहन महाजन निवासी नान्दशा हाल जी 553 आजादनगर भीलवाड़ा
21. बापुलाल पिता लक्ष्मीलाल महा. नि.नान्दशा हाल 157 काशीपुरी वकीलकॉलोनी भीलवाड़ा
22. अमृत पिता गोटीलाल महाजन निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
23. छोगा पिता भैरा जाट निवासी नान्दशा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
24. पन्ना पिता भैरा जाट निवासी नान्दशा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
25. लोभा पिता भैरा जाट निवासी नान्दशा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल0आर0एक्ट**प्रेषित :-तहसीलदार रायपुर हुक्मनामा पत्थरगढी कराने बाबत**

उपरोक्त अनवान के प्रकरण में प्रार्थीगण के द्वारा अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जिसे दर्ज रजिस्टर किया जाने पर दिनांक 05.08.2021 को स्वीकार किया गया उक्त प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में आपको आदेश दिया जाता है कि ग्राम नान्दशा पटवार हल्का नान्दशा तहसील रायपुर के बेरुन हल्का आबादी मे प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 78 रकबा 1.34 है0, आराजी संख्या 91 रकबा 0.86 है0, आराजी संख्या 1056 रकबा 0.80 है0, आराजी संख्या 1057 रकबा 0.46 है0, आराजी संख्या 1059 रकबा 0.50 है0, आराजी संख्या 1063 रकबा 0.50 है0, आराजी संख्या 1248 रकबा 1.75 है0, आराजी संख्या 1249 रकबा 2.52 है0, आराजी संख्या 1250 रकबा 2.25 है0, आराजी संख्या 1251 रकबा 0.75 है0 कुल किता 10 कुल रकबा 11.73 है0 भूमि खाता संख्या 147 पर दर्ज रेकार्ड है।

इस हेतु प्रार्थीगण द्वारा पत्थरगढी शुल्क 1000/-रूपये राजकोष में जमा एवं कमिश्नर फीस 2000/-रूपये सम्बधित भू-अभिलेख निरीक्षक के पास जमा होने पर उक्त आराजी पत्थरगढी पक्षकारान को सूचित करते हुए बशामलात पक्षकारान के करायी जावें।

मौके पर दौराने पत्थरगढी अगर प्रार्थीगण की आराजियात पर विपक्षी या अन्य का कब्जा पाया जाता है तो बिना कब्जे में दखल दिये उसको नजरी नक्शा एवं ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाते हुए पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका के प्रस्तुत करें।

हुक्मनामा आज दिनांक 05.08.2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी किया।



(Signature)
05/08/2021
(सुन्दरलाल बम्बोडा)
उपखण्ड अधिकारी
रायपुर जिला भीलवाड़ा